



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60126-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 10989 वर्ष 2026

गुलाबी देवी और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: धर्मेन्द्र कुमार पांडे, गौरव कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., सी.एस.सी., पारस नाथ राय

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री पारस नाथ राय, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता और श्री अंबरीश शुक्ला, राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उनकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित की गई थी और एक अवार्ड भी जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं को मुआवजा तो मिल चुका है, लेकिन पुनर्वास और पुनर्स्थापन अवार्ड भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (संक्षेप में "अधिनियम, 2013") की दूसरी अनुसूची के अनुसार जारी नहीं किया गया है। इसलिए, यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन अवार्ड जारी करने का निर्देश दिया जाए।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं का दावा रिट याचिका संख्या 2782/2023 (अशोक कुमार और 8 अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और 3 अन्य) में उठाए गए दावे के समान है, जिसका निस्तारण इस न्यायालय ने दिनांक 24.2.2023 के आदेश द्वारा रिट याचिका संख्या 21601/2022 (रणवीर सिंह और 35 अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सक्षम भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण और अन्य) में पारित आदेश के अनुसार किया था। रिट याचिका संख्या 2782/2023 (अशोक कुमार और 8 अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और 3 अन्य) में दिनांक 24.2.2023 को पारित आदेश का मुख्य भाग इस प्रकार है:

“9. अंत में, रिट याचिकाओं का निस्तारण निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया गया है:

उपरोक्त के लिए, याचिकाकर्ता के दावे के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, यह निर्देश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम, 2013 की धारा 3(सी) के अर्थ में प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन पुरस्कार के लिए एक प्रस्ताव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तैयार करे, द्वितीय अनुसूची में दिए गए अधिकारों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की सहायता से, और इसे कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार पुरस्कार दिया जा सके। उक्त प्रस्ताव तैयार करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी अधिनियम, 2013 के अध्याय V में निहित पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 34, 35 और 36 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करेगा, अर्थात् पुनर्वास प्रस्ताव तैयार करने से पहले। और पुनर्स्थापन पुरस्कार, विचाराधीन अधिग्रहण के संबंध में। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि और प्रभावित भूमिधारक पुरस्कार तैयार करने की कार्यवाही में भाग लेने के हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा द्वितीय अनुसूची के क्रमांक (1) के अंतर्गत विस्थापन की स्थिति में आवास इकाई के प्रावधान, क्रमांक (4) वार्षिकी और रोजगार के विकल्प, और क्रमांक (10) एकमुश्त पुनर्स्थापन भत्ते के लिए किए गए दावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा पुरस्कार देते समय विशेष रूप से विचार किया जाएगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाएगी, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर। हम यह स्पष्ट कर दें कि इस स्तर पर, तृतीय अनुसूची के लाभों के प्रावधान के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं उठाई गई है। किसी भी स्थिति में, ऐसा पुरस्कार देते समय, प्रभावित परिवारों के लिए द्वितीय अनुसूची में दिए गए पुनर्वास और पुनर्स्थापन के अधिकारों के तत्वों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा, और इस बात पर ऊपर दिए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

10. याचिकाकर्ता समान परिस्थितियों में हैं और इसलिए, समान राहत पाने के हकदार हैं।

11. तदनुसार, इस रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ताओं की ओर से निवेदन किया गया है कि इस याचिका का भी इसी प्रकार निस्तारण किया जाए।

5. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता इस बात से असहमत नहीं हैं कि याचिकाकर्ताओं का दावा समान है, हालांकि, उनका निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत किए गए अधिग्रहण से संबंधित मामलों में, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी ही पुरस्कार घोषित करने के लिए सक्षम है, न कि संबंधित जिले का कलेक्टर और उनका निवेदन है कि इस पहलू को इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जाए।

6. इस न्यायालय ने हाल ही में, रिट याचिका संख्या 13489/2024 (रामपाल सिंह और 12 अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और 2 अन्य) पर दिनांक 24.04.2024 के आदेश द्वारा निर्णय करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत समान दलीलों पर विचार किया और निम्नलिखित अवलोकन किया:

“6. अधिनियम, 2013 की धारा 23 को धारा 31 के साथ पढ़ने पर कलेक्टर को द्वितीय अनुसूची में दिए गए अधिकारों के अनुसार प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पुरस्कार पारित करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम, 2013 की धारा 3(जी) के अंतर्गत कलेक्टर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

“(जी) कलेक्टर का अर्थ राजस्व जिले का कलेक्टर है, और इसमें एक उपायुक्त और कोई भी अधिकारी शामिल है जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर के कार्यों का निर्वहन करने के लिए विशेष रूप से नामित किया गया है;”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. कलेक्टर की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि इसमें कोई भी अधिकारी शामिल है जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर के कार्यों का निर्वहन करने के लिए विशेष रूप से नामित किया गया है।

8. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में, पुरस्कार घोषित करने की शक्ति सक्षम प्राधिकारी को धारा 3जी के अंतर्गत प्रदान की गई है। 1956 के अधिनियम की धारा 3(ए) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"(क) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी से है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकृत किया गया हो, ऐसे क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निष्पादन करने के लिए जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया हो;"

9. यह निर्विवाद है कि केंद्र सरकार ने 28.08.2015 को अधिनियम, 2013 की धारा 105(3) के तहत अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि दूसरी और तीसरी अनुसूची से संबंधित प्रावधान उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों पर लागू होंगे। इस अधिसूचना का प्रभाव यह है कि अधिनियम, 2013 के लाभकारी प्रावधान राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहणों पर भी लागू होते हैं। हालांकि, जांच करने और मुआवजे का निर्धारण करने के लिए निर्धारित तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह कार्य अभी भी उसी तरीके से और उसी प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, जैसा कि उन कानूनों में निर्धारित है जिनके तहत अधिग्रहण किया गया था। अतः, हम एनएचआई के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील में बल पाते हैं कि एनएच अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण से संबंधित मामलों में, एनएच अधिनियम की धारा 3(ए) के अंतर्गत परिभाषित सक्षम प्राधिकारी ही

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित दावों की जांच करने और तदनुसार निर्णय देने के लिए अधिकृत होगा, न कि जिले का कलेक्टर।

7. उपरोक्त के मद्देनजर, यह याचिका राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी को निर्देश के साथ निश्चित की जाती है कि वह पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित दावों की जांच करे और अधिनियम, 2013 के अध्याय वी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में इस आदेश की सूचना की तिथि से बारह सप्ताह के भीतर निर्णय ले।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

24 मार्च, 2026

जीपी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।